

प्रेषक,
आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,
जिला विकास अधिकारी,
आगरा, फतेहपुर, जालौन, गाजीपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली एवं कासगंज।

पत्रांक- सी-0040/बजट/समर्पण-03-ब्लाक/2020-21

दिनांक :: 5 मार्च, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-“2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट) के अन्तर्गत धनराशि का समर्पण स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-“2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट) हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष प्राप्त समर्पण प्रस्ताव के अनुसार विभिन्न मानक मदों में संलग्न माइनस ग्रिड रिपोर्ट संख्या-001-C0040.BUDGET.03BLOCK.MINUS.2020.2021 दिनांक 5 मार्च, 2021 में उल्लिखित विवरण के अनुसार मानक मदवार कुल रूपये रु0 10,51,079.00 (रूपये दस लाख इक्यावन हजार उन्चासी मात्र) की धनराशि का समर्पण स्वीकार किया जाता है।

2. समर्पित धनराशि को वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक- “2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संलग्न ग्रिड में दिये गये विवरण के अनुसार सुसंगत उप लेखा-शीर्षक/प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
 3. उपरोक्त समर्पित धनराशि की प्रविष्टि आयुक्त, ग्राम्य विकास (मुख्यालय) के केन्द्रीय बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 40, 41 पर अंकित कर ली गयी है।
 4. अतएव संलग्न माइनस ग्रिड के अनुसार अपने अधिष्ठान की मानक मदवार ऋणात्मक प्रविष्टि सम्बंधित केन्द्रीय बजट रजिस्टर में आवश्यक रूप से कराना सुनिश्चित करें।
 5. समर्पित धनराशि का मिलान सम्बंधित कोषागार से भी कराना सुनिश्चित करें।
 6. तदनुसार बी.एम.-4 (मासिक व्यय विवरण) में भी यथा आवश्यक अंकन सुनिश्चित करें।
- संलग्नक:-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अपर आयुक्त(वित्त)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांक- सी-0040/बजट/समर्पण-03-ब्लाक/2020-21 तददिनांक
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा, फतेहपुर, जालौन, गाजीपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली एवं कासगंज।
2. मुख्य विकास अधिकारी, आगरा, फतेहपुर, जालौन, गाजीपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली एवं कासगंज।
3. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. विशेष सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
5. संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त(व्यय नियंत्रण), अनुभाग-2 ।
6. संयुक्त आयुक्त(मुख्यालय), ग्राम्य विकास, उ0प्र0, को वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
7. गार्ड फाइल।

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अपर आयुक्त(वित्त)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

राजेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त आयुक्त (वित्त)
ग्राम्य विकास उ0प्र0